Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम ....बयाना..............................

रामकेश ....बनाम .... विनय बगैरह..........................

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट .... नं...................सन् 348/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
30/12/2025	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा मूल अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम धाधरैन तहसील बयाना के उपयोग–उपभोग में कोई बाधा व रूकावट नहीं डालें। रहन, वय व मुन्तकिल नहीं करें। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। हमने एड. प्रार्थी को सुना। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन करने पर अप्रार्थीगण के विरूध्द अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.04.2026 तक इस आशय की जारी की जाती है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम धाधरैन तहसील बयाना में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन आदेश का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे। उक्त खसरा नम्बर पर जारी स्थगन आदेश सटे हुए खसरा नम्बरान की पमाईश बाबत निष्प्रभावी रहेगें।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी का जरिये साधारण/ [illegible] डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 06.04.2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	
6/4/26	पीठासीन अधिकारी ....SDM Leave.... है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक......25/6/26......को पेश है। (हस्ताक्षर) ओ/एसडीएम.	
23/4/26	प्रकरण आज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० प० के आधार पर तारीख पेशी से पूर्व तलब किया गया।	रामकेश

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से जाहिर किया कि हम उभयपक्ष में राजीनामा हो चुका है प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते है श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा द्वारा प्रार्थी की पहचान की गई।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर इसी स्तर पर प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद-तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.